□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न □ख□□: 1036

18 □□□□□, 2020 □□ □□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□-□□□□□ □□□□

1036. श्री रवनीत सिंह:
श्र□ □□□□ई□□ □□□□
श्री सय्यद ईमत्याज □□□□□
श्री उत्तम कुमार रेड्डी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कोविड प्रकोप के कारण, गैर-कोविड रोगियों का इलाज प्रभावित और महंगा हुआ है तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों म कसर और तपेदिक जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को समय पर और नियमित रूप से उपचार नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और माच 2020 से लेकर अब तक इन बीमारियों से कितने लोगों की मृत्यु हुई है और गैर-कोविड रोगियों के उपचार म कितने प्रतिशत की कमी आई है;

(ग) सरकार द्वारा गैर-कोविड रोगियों के लिए सस्ता और सुलभ उपचार सुनिश्चित करने और निजी अस्पतालों म कोविड-19 के साथ-साथ अन्य रोगियों के उपचार की कीमतों के विनियमन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे ह;

(घ) क्या बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए ह क्योंकि कोविड के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने टीकाकरण कायक्रम बंद कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कायवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा अनलॉक-4 लागू करने के बाद जिसम ओपीडी शुरू होना और अन्य सुविधाएं शामिल ह, गैर-कोविड रोगियों की देखभाल और उपचार म सुधार हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध म क्या कदम उठाए गए ह या उठाए जा रहे ह?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्र□ (श्र□ □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) से (च): अन्य अनिवाय स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव को देखते हुए, कोविड-19 प्रकोप के दौरान अनिवाय स्वास्थ्य सेवाओं को कायम रखने के लिए विस्तृत मागदशन टिप्पणी अप्रैल 2020 म जारी की गई थी। इन अनिवाय स्वास्थ्य सेवाओं म कसर का उपचार भी शामिल है। इसके

अलावा, क्षय रोग का उपचार और प्रतिरक्षण को सेवाओं समेत विशिष्ट सेवाओं को प्रदायगी पर अलग से दिशा-निदश/ परामार्शिकाएं भी समय-समय पर जारी को गई थीं। गैर-कोविड अनिवाय सेवाओं को प्रदायगी को स्थिति पर निगरानी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न स्तरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से को गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये सेवाएं निबाध रूप से निरंतर चलती रह। कद्र सरकार के अस्पतालों म कोविड-19 के रोगियों से इतर रोगियों को उपचार प्रदान किया गया। आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाएं संचालनरत रहीं और कोविड-19 रोगियों से इतर रोगियों के लिए उपलब्ध रहीं। मंत्रालय ने भी कद्र सरकार के अस्पतालों के साथ-साथ राज्य सरकारों को समय-समय पर निदश जारी किए कि वे गैर-कोविड अनिवाय स्वास्थ्य परिचया सेवाओं पर भी विशेष ध्यान द। क्षय रोगियों का उपचार सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के बीच, आईएलआई/ सारी के मामलों म टीबी-कोविड को दोहरी जांच (स्क्रीनिग) और क्षय रोग को स्क्रीनिग के लिए और साथ ही क्षय रोग को निदान प्रयोगशालाओं के काय संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मागदशन जारी किया गया।

हालांकि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के उद्देश्याथ किए गए नियंत्रण उपायों को अपनाने के परिणामस्वरूप, प्रतिरक्षण सेवाएं धीमी पड़ गई थीं, आवाजाही पर प्रतिबंध म ढील देने के कारण स्थिति म सुधार आया है। चरणबद्ध तरीके से अनलॉक उपायों को शुरू करने के उपरांत स्वास्थ्य परिचया सुविधाओं म धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

*****